भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4987
31 मार्च, 2017 को उत्तर के लिए

एसएससी अधिकारियों के लिए पेंशन योजना

4987.श्री कृपाल बालाजी तुमाने:
श्रीमती भावना गवली(पाटील):
श्री हरिओम सिंह राठौड़:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा क्षेत्र में अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों के लिए कोई पेन्शन योजना शुरु करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार 15 वर्ष से कम सेवा देने वाले रक्षा कार्मिकों के लिए पेन्शन की स्वीकृति देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार को सैन्य सेवा पेन्शनर्स संगठन से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है : और

(ड.) क्या सरकार का विचार **15** वर्ष से कम सेवा देने वाले सैन्य कार्मिकों के लिए कोई अन्य कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)

(क) और (ख): वर्तमान में, अन्य रैंकों से अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारीगण 12 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् पेंशन के लिए पात्र हैं । तथापि, सिविल जीवन से सीधे कमीशन प्राप्त, कमीशंड अधिकारीगण सिर्फ सेवांत उपदान (टर्मिनल ग्रेच्युटी) के लिए पात्र होते हैं। ऐसा कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ): जी, नहीं ।

(ड.): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

****